लोक विश्लेषक की रिपोर्ट में एक कमी थी क्योंकि निर्धारित प्रपत्र के कुछ कॉलम नहीं भरे गए थे और यह जलेबियों की तैयारी में निषेधात्मक डाई के उपयोग का मामला था। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने आरोपी को बरी कर दिया था, लेकिन अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज की गई थी। बद्री (5) एकमात्र ऐसा मामला है जहां आरोपी को मिलावटी दूध की बिक्री के लिए दोषी ठहराया गया था और उसकी सजा को पहले से काट लिया गया था और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अभियुक्त को मूल रूप से उसके तीसरे अपराध के रूप में वर्णित सजा के लिए बढ़ी हुई सजा दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी दोषसिद्धि को तीसरे अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह इन विशेष परिस्थितियों में था कि सजा को एक साल के कारावास से घटाकर पहले से ही काट लिया गया था और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इनमें से कोई भी मामला श्री गांधी की मदद नहीं कर सकता है, जो तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता का अपराध केवल तकनीकी प्रकृति का है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हो सकता कि अपराध को किसी भी अर्थ में तकनीकी कहा जा सकता है। इस मामले की विशेष परिस्थितियों में, मैं सजा को घटाकर तीन महीने के कठोर कारावास में बदल देता हूं, लेकिन भुगतान में चूक में 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा को बनाए रखता हूं, जिसमें याचिकाकर्ता को तीन महीने के लिए और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि याचिकाकर्ता की सजा कम हो जाती है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

आर.एन.एम.

आपराधिक मूल

न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह गुजराल के समक्ष

मैसर्स अग्रवाल संस, - याचिकाकर्ता

बनाम

दामोदर दास, मुख्य प्रशासक और अन्य, उत्तरदाता

1968 का आपराधिक मूल संख्या 209

29 अक्टूबर, 1969

न्यायालय की अवमानना अधिनियम (1952 का XXXII) - धारा 3 - खुली अदालत में पारित स्थगन आदेश, पक्ष की उपस्थिति में नहीं बल्कि उसके वकील की उपस्थिति में - वकील जो पार्टी को आदेश से अवगत नहीं कराता है - ऐसा पक्ष - चाहे स्थगन आदेश की अवज्ञा का दोषी हो।

अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवज्ञा के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि जिस पक्ष के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसे आदेश की जानकारी है। इस तथ्य से कि आदेश ऐसे पक्ष के वकील की उपस्थिति में पारित किया जाता है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सूचना समय पर पार्टी को दी जाती है। यह केवल तभी होता है जब दूषित

आचरण का एक स्पष्ट मामला स्पष्ट नहीं होता है अन्यथा उत्पन्न होता है कि एक अवमाननाकर्ता को दंडित किया जाना है। (पैरा 4 और 5)

अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के तहत अदालत की अवमानना के लिए आवेदन, प्रार्थना करता है कि प्रतिवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

आर.एन. मित्तल, याचिकाकर्ता की ओर से वकील

सी. डी. दीवान, वकील, उत्तरदाताओं के लिए

निर्णय

गुजराल, जे- यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के तहत एक याचिका है जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादियों को 8 नवंबर, 1968 के इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने के लिए दंडित किया जाए।

(2) इस आवेदन को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने 1967 की सिविल रिट संख्या 119 दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ता को मध्य मार्ग, चंडीगढ़ पर सेक्टर 17 में एक बड़े आकार का भूखंड आवंटित करने के लिए प्रतिवादियों को प्रमाणपत्र, परमादेश या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की रिट जारी करने का अनुरोध किया गया था। यह याचिका अंततः एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई और 23 अगस्त, 1968 को खारिज कर दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया, जो 31 अक्टूबर, 1968 को अंतिम सुनवाई के लिए आया। इस तारीख को छुट्टी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 10 नवंबर, 1968 को होने वाली भूखंडों की नीलामी पर रोक लगाने के लिए भी आवेदन किया था। उस आवेदन पर आदेश भी उसी दिन पारित किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाले आदेश का एक हिस्सा था। आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: —

> "याचिकाकर्ता के वकील श्री आर एन मित्तल ने बताया कि कुछ भूखंड हाल ही में उसी क्षेत्र में बनाए गए हैं जिसके लिए नीलामी 10 नवंबर, 1968 को होने जा रही है, और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 45, नियम 13 और धारा 151 के तहत अपने आवेदन में इनमें से एक भूखंड की नीलामी पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर यह रोक नहीं दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी छुट्टी निरर्थक हो जाएगी। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से उचित स्थगन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, हम सैनिटरी सामानों के लिए दुकानों के लिए आरक्षित भूखंडों में से मध्य मार्ग के किनारे एक भूखंड की नीलामी पर दो महीने के लिए रोक लगाते हैं।"

यद्यपि यह आदेश 8 नवंबर, 1968 को पारित किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि मध्य मार्ग के साथ एक भूखंड याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित किया जाए, लेकिन कोई भूखंड आरक्षित नहीं किया गया था और 10 नवंबर, 1968 को सभी भूखंडों की नीलामी आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा

3 के तहत कार्रवाई के लिए यह याचिका दायर की है।

(3) प्रारंभ में यह कहा जा सकता है कि इस याचिका में चार प्रतिवादियों में से तीन प्रतिवादी, अर्थात् श्री दामोदर दास, श्री शाम लाल वर्मा और श्री गुरदीप सिंह न तो सिविल रिट में और न ही उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के आवेदन में पक्षकार थे। यह स्थिति होने के नाते, उन्हें नीलामी के आयोजन के संबंध में इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि फाइल पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह पता चले कि आदेश 10 नवंबर 1968 को या उससे पहले इन प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त किया गया था।

(4) हमारे पास केवल श्री होशियार सिंह का मामला बचा है जो संपदा अधिकारी थे और सिविल रिट और उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के आवेदन में भी पक्षकार थे। इस प्रतिवादी का मामला यह है कि भूखंडों की नीलामी पर रोक लगाने का आदेश उनके संज्ञान में नहीं आया क्योंकि यह 13 नवंबर 1968 को उच्च न्यायालय के कार्यालय से जारी किया गया था, और चूंकि उन्हें पहले आदेश की जानकारी नहीं थी, इसलिए भूखंड के बारे में नीलामी पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी। याचिकाकर्ता की ओर से, यह मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि चूंकि आदेश वकील की उपस्थिति में खुली अदालत में पारित किया गया था, इसलिए प्रतिवादी को यह माना जाएगा कि वह आदेश को जानता था और उसने इस आदेश की अवज्ञा की थी। इस तर्क के लिए समर्थन राम प्रसाद सिंह बनाम राम प्रसाद सिंह से मांगा गया है। बनारस बैंक[1], (1) इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा यह आदेश दिया गया था कि प्रतिवादी राम प्रसाद सिंह को 1918 से पहले पटना उच्च न्यायालय द्वारा कुर्क की गई किसी भी संपत्ति को अलग नहीं करना था। इसके बावजूद राम प्रसाद सिंह ने 3 और 4 जनवरी, 1919 को आदेश पारित होने के बाद दो बिक्री विलेख निष्पादित किए। यह आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति में पारित किया गया था, जिसका विधिवत प्रतिनिधित्व वकील ने किया था और राम प्रसाद सिंह पर व्यक्तिगत रूप से सेवा के लिए एक औपचारिक निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी। राम प्रसाद सिंह की व्यक्तिगत सेवा प्रभावित नहीं हो सकी क्योंकि प्रक्रिया-सर्वर उन्हें उनके सामान्य निवास स्थान पर खोजने में असमर्थ था। यहां तक कि अगर व्यक्तिगत सेवा को प्रभावित नहीं किया गया था, तो यह माना गया था कि हम प्रसाद अवमानना के दोषी थे और निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं: —

> "जिन परिस्थितियों में व्यक्तिगत सेवा को प्रभावित करने का प्रयास विफल रहा, वे स्वयं संदिग्ध हैं, और हमें इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश से सहमत होना चाहिए कि यह विश्वास करना वास्तव में संभव नहीं है कि एक जिम्मेदार कानूनी सलाहकार की उपस्थिति में खुली अदालत में पारित निषेधात्मक आदेश को मुख्य रूप से संबंधित व्यक्ति को कभी सूचित नहीं किया गया था। गुण-दोष के अलावा, हम अपीलकर्ता को केवल व्यक्तिगत सेवा को प्रभावित करने के प्रयास की विफलता के कारण सभी दायित्वों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। निषेधात्मक आदेश खुली अदालत में पारित किया गया था; यह तकनीकी रूप से एक डिक्री का प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन यह अदालत के समक्ष विधिवत रूप से उपस्थित दोनों पक्षों की उपस्थिति में पारित किया गया था और यह इसके वितरण की तारीख से उतना ही प्रभावी होता है जितना कि एक

[1](1920)आई.एल.आर. 42 एअलअल 98.

फैसले में सन्निहित स्थायी निषेधाज्ञा और अदालत की डिक्री में शामिल किया जाता है।

इन टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि आदेश न केवल वकील की उपस्थिति में बल्कि पक्षों की उपस्थिति में भी दिया गया था। फैसले के पहले के हिस्से में, यह कहा गया था कि आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति में पारित किया गया था, जिसका विधिवत प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया गया था। उपरोक्त टिप्पणी से, ऐसा प्रतीत होता है कि जब पार्टियों की उपस्थिति में खुली अदालत में एक आदेश पारित किया जाता है, तो यह तथ्य कि आदेश को व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। जैसा कि वर्तमान मामले में यह न तो आरोप है और न ही यह दिखाने के लिए कोई सामग्री है कि श्री होशियार सिंह प्रतिवादी आदेश पारित करते समय अदालत में मौजूद थे, इसलिए उपरोक्त मामले में की गई टिप्पणियां याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं हैं।

(5) उत्तरदाताओं की ओर से पी. डी. गौर बनाम एन. बालासुंदरम पर भरोसा किया जाता है[2]; (2) इस मामले में, याचिकाकर्ता बालासुंदरम ने आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले याचिकाकर्ता पर बिक्री कर की वसूली पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश प्राप्त किया था। इस आदेश की पुष्टि 21 जुलाई 1967 को की गई थी, और समय को तीन सप्ताह तक बढ़ा दिया गया था, यानी 18 अगस्त 1967 तक। इस तारीख को फिर से राज्य के वकील और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में दो महीने का और विस्तार दिया गया। इसके बावजूद, प्रतिवादी, पीडी गौड़ बालासुंदरम के कारखाने में गए और उनके प्रबंधक को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति की कुर्की की धमकी दी। इन परिस्थितियों में, यह निम्नानुसार देखा गया था -

> "इसलिए, प्रतिवादी के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि अपीलकर्ता को 22 अगस्त 1967 से पहले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के आदेश के विस्तार की जानकारी या ज्ञान था, जब वह याचिकाकर्ता के कार्यालय में गया था। यह तथ्य साबित नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता ने 22 अगस्त, 1967 को इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की थी, और यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अदालत की कोई अवमानना की है।

उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने से पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि जिस पक्ष के खिलाफ कार्यवाही की गई है, वह उच्च न्यायालय के आदेश को जानता है। इस तथ्य से कि पार्टी के वकील जानते हैं, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि संबंधित पक्ष को समय पर जानकारी दी गई थी। वर्तमान मामले में, आदेश 8 नवंबर 1968 को खुली अदालत में पारित किया गया था, जबकि नीलामी 10 नवंबर 1968 को आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता को मामले की विभागीय फाइल की जांच करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया है जो यह इंगित करे कि सिविल रिट में प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने पार्टी को इस न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित किया था। इसके अलावा, संपदा कार्यालय के अधीक्षक श्री राधा किशन कपूर का हलफनामा भी है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने संबंधित फाइल

[2] ए.आई.आर. 1969 पी.बी. और एचआर. 60.

की जांच की थी और इसमें दीवान चेतन दास एडवोकेट का कोई संचार नहीं है, जिसमें एस्टेट ऑफिस को 8 नवंबर 1968 के आदेश के पारित होने के बारे में जानकारी दी गई हो। इन परिस्थितियों में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि श्री होशियार सिंह को 8 नवंबर के आदेश के पारित होने के बारे में जानकारी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अक्सर यह टिप्पणी की गई है कि यह केवल तभी होता है जब दूषित आचरण का एक स्पष्ट मामला स्पष्ट नहीं होता है अन्यथा स्पष्टीकरण योग्य नहीं होता है कि अवमाननाकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह पाया गया है कि इस न्यायालय के दिनांक 8 नवम्बर के आदेश के बारे में श्री होशियार सिंह को सूचित नहीं किया गया था और इसलिए उन्हें इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाला नहीं ठहराया जा सकता है।

(6) यह भी जोड़ा जा सकता है कि आदेश 15 नवंबर को एस्टेट ऑफिस को प्राप्त हुआ था और उसके बाद सेक्टर 7 सी में मध्य मार्ग पर एक भूखंड याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित किया गया था। श्री राधा किशन कपूर के हलफनामे से पता चलता है कि मध्य मार्ग पर सेक्टर 7-सी में साइट नंबर 17 से 44 पहले ही बनाई जा चुकी थी और इनमें से केवल 17 से 26 नंबर वाली साइटों को जारी किया गया था और नीलामी की गई थी। ^ शेष भूखंडों में से, संख्या 27 वाला भूखंड जो नीलामी किए गए लोगों के बगल में है, याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित किया गया है। यह स्थिति होने के नाते, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित होगा कि प्रतिवादी की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था। तथ्य यह है कि आदेश की प्राप्ति के तुरंत बाद नीलाम किए गए भूखंडों के बगल में स्थित भूखंड को आरक्षित कर दिया गया था, यह दर्शाता है कि आदेश पहले प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि भूखंड संख्या 26 और 27 के बीच बहुत अंतर नहीं है। यदि 27 नंबर वाले प्लॉट को आरक्षित किया जा सकता है, तो अन्य भूखंडों में से कोई भी आरक्षित हो सकता है यदि आदेश समय पर प्रतिवादी के संज्ञान में आया था।

(7) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मुझे लगता है कि यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी को आदेश के बारे में पता चला था और उसने जानबूझकर इसकी अवज्ञा की थी। इसलिए, मैं इस याचिका को खारिज करता हूं और सभी प्रतिवादियों के खिलाफ नियम का निर्वहन करता हूं।

एन.के.एस.

सिविल विविध

न्यायमूर्ति, एच. आर. सोढ़ी के समक्ष

डा बी आर चौहान- याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य, उत्तरदाता

1969 की सिविल रिट संख्या 1589

30 अक्टूबर, 1969

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर (1968), खंड I, अध्याय III- विनियम 2- सीनेट के तहत प्रोफेसर या रीडर की नियुक्ति - क्या परिवीक्षा की शर्त लगाने का अधिकार है - ऐसी शर्त यदि लगाई जाती है - क्या मनमानी - वैधानिक निगम के नियमों द्वारा विनियमित सेवा के अनुबंध के नियम और शर्तें - ऐसा अनुबंध - क्या कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़, प्रशिक्षु
न्यायिक अधिकारी